न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. प्रकाश भाई पुत्र किशोर जी चौहान, उम्र 42 वर्ष, जाति- चौहान,
   निवासी- स्कूल मैदान गली, पुरोहित धर्मशाला के पीछे, सरुपगंज, जिला-सिरोही
   फर्मः- कामधेनु डेयरी, झण्डा गली, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला-सिरोही
2. Tejas Parveen Kumar Agarwal,
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर निर्माता फर्म)
   फर्मः- Takshil Dairy Products, 446, opp. Suraj Party Plot, Galudan,
   Dist- Gandhinagar (Gujrat)-382355

प्रकरण संख्याः 36/2019

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. प्रतिवादी प्रकाश भाई
3. श्री राजकुमार अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि निर्माता फर्म

-: निर्णय :- **दिनांक 19 फरवरी, 2020**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 24.1.2019 को समय 1.15 पी.एम. पर फर्म कामधेनु डेयरी, झण्डा गली, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवडा, जिला- सिरोही पॅहुचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता से परिचय लेने व देने पर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति प्रकाश भाई पुत्र किशोर जी चौहान, जाति- चौहान, निवासी- स्कूल मैदान गली, पुरोहित धर्मशाला के पीछे, सरुपगंज, जिला- सिरोही है एवं फर्म कामधेनु डेयरी, झण्डा गली, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता को प्रोपराईटरी फूड (हलवा मिठाई) (राधे ब्राण्ड) विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड (हलवा मिठाई) (राधे ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक आिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान के अन्दर फ्रिज में विक्री हेतु मौजूद प्रोपराईटरी फूड (हलवा मिठाई) (राधे ब्राण्ड) के 2x3Kg में से एक पैकेट खोलकर उसको चम्मच से हिलामिलाकर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये हुए

.....पेज दो पर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड (हलवा मिठाई) (राधे ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड (हलवा मिठाई) (राधे ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-880 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य कारोबारकर्ता प्रकाश भाई एवं निर्माता फर्म को जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई गई एवं जांच से असन्तुष्ट होने की स्थिति में पुन: जांच का आवेदन फार्म 8 में रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, लेकिन प्रकाश भाई एवं निर्माता फर्म ने पुन: जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया। इस प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश किये। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादीगण- द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड (हलवा मिठाई) (राधे ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड (हलवा मिठाई) (राधे ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अत: प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 17.2.2020 को प्रतिवादी प्रकाश भाई इस न्यायालय में उपस्थित हुये एवं लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 17.2.2020 को प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म की ओर से अधिकृत व्यक्ति राजकुमार अग्रवाल पुत्र बी.पी. अग्रवाल, निवासी- अहमदाबार उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी निर्माता फर्म की ओर से लिखित जवाब एवं निर्माता फर्म का अधिकृत पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 24.1.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने जिस प्रोपराईटरी फूड (हलवा मिठाई) का नमूना जांच हेतु लिया था जो जांच में मिसब्राण्ड पाया गया है, उसका बिल मैनें प्रस्तुत कर दिया था। मैनें मेरी ओर से उसमें कुछ नही मिलाया था, क्योंकि मैनें कम्पनी का पैकींग माल ही बेचा है। भविष्य में इस प्रकार के माल की बिक्री नही करुंगा। मै मेरी गलती स्वीकार करता हूँ। मै एक छोटा दुकानदार हूँ, यह मेरी प्रथम गलती है, कृपया मुझे माफ करावे। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजकुमार अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 24.1.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जिस प्रोपराईटरी फूड (हलवा मिठाई) का नमूना जांच हेतु लिया था एवं जो जांच में मिसब्राण्ड पाया गया है। यह प्रोपराईटरी फूड (हलवा मिठाई) मेरी कम्पनी द्वारा बनाई एवं बिक्री की गई है।

.....पेज चार पर

प्रोपराईटरी फूड (हलवा मिठाई) (राधे ब्राण्ड) में से 2 किलोग्राम प्रोपराईटरी फूड (हलवा मिठाई) (राधे ब्राण्ड) जांच हेतु एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं प्रोपराईटरी फूड (हलवा मिठाई) (राधे ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 340/- नकद अदा कर खरीद रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए तैयार किया एवं खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए मूल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ, सूखे, खाली प्लास्टिक के कंटेनर दिखाये एवं लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक S-880, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता व गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं मैनें स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये है। तत्पश्चात् चारों नमूना कंटेनरों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् खरीदशुदा प्रोपराईटरी फूड (हलवा मिठाई) (राधे ब्राण्ड) को चारों साफ, सूखे, खाली कंटेनरों में बराबर बराबर भरा एवं प्रत्येक कंटेनर में 40-40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर कंटेनरों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप कोड व क्रमांक S-880 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, लेकिन खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफो को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 25.1.2019 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा श्री बाबुलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 24.1.2019 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना मय फार्म नम्बर- 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य

.....पेज तीन पर

हलवा मिठाई की क्वालिटी में किसी प्रकार की कमी नही है, वह मिसब्राण्ड ही पाई गई है। हमने पुराना लेबल चेंज कर दिया है व अब लेबल में पुरानी कमी को दूर कर दिया है। भविष्य में सही लेबल लगाकर ही बिक्री करुंगा। मै इस गलती को स्वीकार करता हूँ, भविष्य में इसको नही दोहराउंगा। अत: प्रकरण को समाप्त करावे।

(3) प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा उक्तानुसार गलती स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 17.2.2020 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को सुनाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड (हलवा मिठाई) (राधे ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी संख्या-1 ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया एवं प्रतिवादी निर्माता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि ने भी उनके जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 24.1.2019 को 1.15 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म कामधेनु डेयरी, झण्डा गली, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म कामधेनु डेयरी, झण्डा गली, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में मालिक एवं खाद्यकारोबाकर्ता की हैसियत से प्रकाश भाई पुत्र किशोर जी चौहान, जाति- चौहान, निवासी- स्कूल मैदान गली, पुरोहित धर्मशाला के पीछे, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को प्रोपराईटरी फूड Halwa sweets (Radhe brand) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु बिक्री किये जाने वाले खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड Halwa sweets (Radhe brand) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता प्रकाश भाई को उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा दुकान के अन्दर फ्रिज में बिक्री हेतु मौजूद प्रोपराईटरी फूड Halwa sweets (Radhe brand) के 2x3Kg पैकेटो में से एक पैकेट खोलकर उसको हिलामिलाकर एक रुप किया व इस एकरुप किये हुए प्रोपराईटरी फूड Halwa sweets (Radhe brand) में से 2 किलोग्राम प्रोपराईटरी फूड Halwa sweets (Radhe brand) को एक साफ, सूखे, खाली भिगौने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 340/- (अक्षरे रुपये तीन सौ चालीस मात्र) खाद्य कारोबारकर्ता प्रकाश भाई को अदा

.....पेज पांच पर

कर क्रय करने का रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता प्रकाश भाई व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबाकरर्ता प्रकाश भाई व उक्त गवाह को चार साफ, सूखे, खाली प्लास्टिक जार दिखाये एवं लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-880, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता प्रकश भाई व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा प्रोपराईटरी फूड Halwa sweets (Radhe brand) को चारों साफ, सूखे, खाली, जारों में बराबर-बराबर मात्रा भरा एवं प्रत्येक जार में 40-40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर जारो को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया, फिर चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रमांक S-880 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता प्रकाश भाई व उक्त गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता प्रकाश भाई व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म कामधेनु डेयरी, झण्डा गली, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता प्रकाश भाई से प्रोपराईटरी फूड प्रोपराईटरी फूड Halwa sweets (Radhe brand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त प्रोपराईटरी फूड Halwa sweets (Radhe brand) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। साथ ही, फार्म नम्बर-6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री बाबुलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), सिरोही के द्वारा दिनांक 25.1.2019 को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो

....पेज छः पर

पत्रावली पर उपलब्ध है। साथ ही, नमूनें के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग एवं फार्म नम्बर-6 के सील बन्द लिफाफा को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 24.1.2019 को ही जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त प्रोपराईटरी फूड Halwa sweets (Radhe brand) का नमूना संख्या S-880 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./37/Act/2019/88 दिनांक 01.2.2019 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म कामधेनु डेयरी, झण्डा गली, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता प्रकाश भाई से वास्ते जांच क्रय किया गया प्रोपराईटरी फूड प्रोपराईटरी फूड Halwa sweets (Radhe brand) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अर्न्तगत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रोपराईटरी फूड Halwa sweets (Radhe brand) के नमूनें के पैकिगं लेबल पर Best before को Small letters में अंकित किया गया है एवं उक्त खाद्य उत्पाद में जिस रिफाईन्ड खाद्य शाकाहारी तेल का उपयोग किया गया है, उसके विशिष्ठ नाम का उल्लेख उक्त प्रोपराईटरी फूड Halwa sweets (Radhe brand) के पैकिंग लेबल पर नही किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पेकेजिंग और लेवलिंग) विनियम, 2011 के विनियमन संख्या 2.2.2.2(c) एवं 2.2.2(10) का उल्लंघन है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2019/1802-05 दिनांक 20.2.2019 से प्रतिवादी संख्या-1 (प्रकाश भाई) व निर्माता फर्म Takshil Dairy Products को उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित गई है, किन्तु इन्होनें पुन: जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या-1 (प्रकाश भाई) की फर्म कामधेनु डेयरी, झण्डा गली, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ को फर्म Takshil Dairy Products, 446, oopp. Suraj Party Plot, Galudan, Dist. Gandhinagar से टेक्स इनवोईस नम्बर 8129 दिनांक 20.1.2019 के द्वारा क्रय किया गया था, जो उक्त खाद्य पदार्थ की निर्माता फर्म है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त निर्माता फर्म Takshil Dairy Products, 446, opp. Suraj Party Plot, Galudan, Dist. Gandhinagar ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Halwa sweets (Radhe brand) का निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार, मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Halwa sweets (Radhe brand) के

.....पेज सात पर

निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय हेतु उक्त निर्माता फर्म Takshil Dairy Products, 446, opp. Suraj Party Plot, Galudan, Dist. Gandhinagar ही मुख्य रुप से दोषी व उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या- 1 (प्रकाश भाई) को दोष मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत खाद्य पदार्थ Halwa sweets (Radhe brand) की निर्माता फर्म Takshil Dairy Products, 446, opp. Suraj Party Plot, Galudan, Dist. Gandhinagar (Gujrat)- 382355 पर राशि रुपये 40,000/- (अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। निर्माता फर्म Takshil Dairy Products, 446, opp. Suraj Party Plot, Galudan, Dist. Gandhinagar (Gujrat)- 382355 के प्रोपराईटर श्री तेजस प्रवीण कुमार अग्रवाल को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म Takshil Dairy Products, 446, opp. Suraj Party Plot, Galudan, Dist. Gandhinagar (Gujrat)- 382355 पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.05 17:34:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: